इन्दिरा गाँधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान

(राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान)

जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302004

दूरभाष : 0141– 2706577–78 फैक्स : 2706571

Web: www.igprgvs.rajasthan.gov.in , Mail: igprgvs@rajasthan.gov.in

क्रमांक : एफ 4 ( ) भण्डार / CT / आईजीपीआरएस / 2023 / 76-78 दिनांक 7/4/2025

Expression of Interest (EoI) for Providing Air/Train Ticket & Hotel Booking

संस्थान में हवाई एवं ट्रेन यात्रा हेतु टिकिट की बुकिंग हेतु अनुभवी एवं पंजीकृत फर्मो से Expression of Interest (EoI) आमंत्रित की जाती है :–

कार्य का विवरण	Expression of Interest (EoI) for Providing Air Ticket/Train Ticket & Hotel Booking
प्रपत्र शुल्क	1000 / –
अमानत प्रतिभूति राशि	10000 / –
प्रपत्र उपलब्ध होने की दिनांक	08/04/2025
प्रपत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि समय	दिनांक 15/04/2025 को मध्यान्ह पश्चात् 01:00 बजे तक
प्रपत्र खोले जाने की तिथि व समय	दिनांक 15/04/2025 को सांय: 03:00 बजे
प्रपत्र एवं शर्तें प्राप्त किये जाने की प्रक्रिया	www.igprgvs.rajasthan.gov.in www.sppp.rajasthan.gov.in से Download किया जा सकता है।

(रामस्वरूप)

अतिरिक्त निदेशक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक हेतु प्रेषित है:–

1. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर को निविदा प्रपत्र मय सीडी भिजवायी जाकर एक क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र तथा 50000 प्रतियों और उससे अधिक परिचालन रखने वाले एक राज्य स्तरीय मुख्य दैनिक समाचार पत्र में न्यूनतम जगह में प्रकाशित करवाकर विज्ञप्ति की प्रति के साथ सूचित करावे।
2. प्रोग्रामर संस्थान को भेजकर लेख है कि राज्यलोक उपापन पोर्टल (SPPP) एवं विभागीय वेबसाईट अपलोड करावे।
3. केयर टेकर कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर उक्त निविदा को प्रकाश्ति करे।

उपनिदेशक (प्रशा.)

तकनीकी निविदा

1. प्रपत्र प्रस्तुत करने वाली फर्म का नामः...
   दूरभाष/मोबाईल नंबर एवं डाक का पताः...बैंक खाता संख्याः..बैंक का नामः...
   शाख का नामः...IFSC Code:...
2. किसको संबोधित की गईः महानिदेशक, इन्दिरा गाँधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान जयपुर
3. सूचना संख्याः 2023–24/ दिनांकः..
4. प्रपत्र शुल्क की राशि 1000/– दिनांक............................ डि.डि./बैंकर्स चैक संख्या.. के द्वारा जमा करा दी गयी है/संलग्न है।
5. इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान जयपुर द्वारा जारी की गयी सूचना 2024–25/........... ....दिनांक ....में वर्णित सभी शर्तो से तथा संलग्न शीट में दी गयी उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते हैं। (इनके सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लेखित शर्तो को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं।
7. प्रतिभूति राशि के पेटे रू. 10,000/– का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक संख्या... जो बैंक का नाम...पर आहरित किया गया है।
8. GST नियमों के अन्तर्गत पंजीयन सं.......................................पेन नंबर...की प्रति संलग्न है।
9. राजकीय विभागों/बोर्ड/निगम/स्वायतशासी संस्थाओं में सामान प्रकृति के कार्य करने का कम से कम दो वर्ष का अनुभव का विवरण (कार्यादेश की छायाप्रति संलग्न करें)

क्र.सं.	राजकीय विभागों/बोर्ड/निगम/स्वायतशासी संस्थाओं का नाम	अवधि
1.		
2.		

10. प्रपत्र पर हस्ताक्षर फर्म से अधिकृत व्यक्ति द्वारा किए जावें।
11. प्रतिभूति राशि जमा/संलग्न नहीं होने पर बिड पर विचार नहीं किया जायेगा।
12. गत तीन वर्षो में फर्म के ब्लैक लिस्ट नहीं होने का स्वंघोषणापत्र
13. फर्म का गत दो वर्षो (2022–23 व 2023–24) में कुल 15.00 लाख का टर्न ओवर समान प्रकृति के कार्य का होना आवश्यक है। प्रपत्र के साथ गत 2 वर्ष का टर्नओवर सी.ए. की प्रमाणित प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा।
14. फर्म अपनी अन्य कोई शर्त अंकित नहीं करें। यदि अन्य शर्त अंकित की जाती है तो फर्म को प्रक्रिया से बाहर कर दिया जावेगा ।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

इन्दिरा गाँधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान

(राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान)

जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302004

दूरभाष : 0141– 2706577–78 फैक्स : 2706571

Web: www.igprgvs.rajasthan.gov.in , Mail: igprgvs@rajasthan.gov.in

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

Expression of Interest (EoI) की सामान्य शर्ते

टिप्पणीः– इन शर्तो को सावधानी पूर्वक पढ़ना चाहिये तथा प्रपत्र प्रस्तुत करते समय इनकी पूर्णरूपेण पालना करनी चाहिये।

1. आवेदन प्रपत्र के साथ निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने आवश्यक है :–
   - I. फर्म का रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र
   - II. फर्म का GST प्रमाण–पत्र
   - III. फर्म का पेन कार्ड
   - IV. गत तीन वर्षो में किसी भी राजकीय विभाग/बोर्ड /स्वायत्तशासी संस्था में ब्लैक लिस्ट नहीं होने का स्वयघोषणा प्रमाण–पत्र
   - V. गत दो वर्षो (वर्ष 2022–23 एवं 2023–24) में कुल 15.00 लाख का टर्न ऑवर। टर्न ऑवर को सी.ए. से प्रमाणीकरण उपरान्त ही प्रस्तुत किया जावे
   - VI. गत दो वर्ष वर्ष 2022–23 एवं 2023–24) में किसी भी राजकीय विभाग/बोर्ड /स्वायत्तशासी संस्था में समान प्रकृति का कार्य करने का प्रमाण–पत्र
   - VII. प्रपत्र शुल्क राशि 1000/– जोकि महानिदेशक इंदिरा गाँधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान के नाम से बना हुआ हो मूल ही संलग्न किया जाना आवश्यक है
   - VIII. अमानत राशि 10000/– जोकि महानिदेशक इंदिरा गाँधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान के नाम से बना हुआ हो मूल ही संलग्न किया जाना आवश्यक है
   - IX. परिशिष्ट "अ" पर संलग्न फार्म की पूर्ति कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा ।
   - X. संस्थान द्वारा जारी प्रपत्र के प्रत्येक पेज पर हस्ताक्षर कर प्रस्तुत की जावे।

2. प्रपत्र रजिस्टर्ड फर्मो/व्यापारियों द्वारा ही दी जानी चाहिये जो वास्तव में संबंधित व्यवसाय कर रहे हो तथा संबंधित व्यवसाय का अनुभव रखते हो।
3. निविदादाता के संबंध में यह समझा जावेगा कि उसने किये जाने वाले कार्य/प्रदान किये जाने वाले सामान संबंधी विस्तृत विवरण एवं शर्तो आदि का अध्ययन कर लिया है। यदि इसमें कोई संदेह हो तो वह संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व संस्थान के प्रभारी अधिकारी से स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।
4. बोली प्रतिभूति राशि को निम्न लिखित मामलों में समपहत कर लिया जाएगाः–
   (1) जब निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा को स्वीकार करने के पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है।
   (2) जब निविदादाता विर्निदिष्ट समय के भीतर विहित करार को, यदि कोई हो, निष्पादित नही करता हो।
   (3) जब निविदादाता विर्निदिष्ट समय के भीतर बाली प्रतिभूति राशि जमा नही कराता।
   (4) जब निविदादाता निहित समय के भीतर सप्लाई आदेश/कार्यादेश के अनुसार कार्य करने में असफल रहता हो।
5. सफल निविदादाता को आदेश के प्राप्त होने से 10 दिन की अवधि के भीतर पाँच सौ रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर एक करार–पत्र निष्पादित करना होगा।
6. विवाद की स्थिति में महानिदेशक संस्थान का निर्णय अंतिम होगा।
7. कार्य सन्तोषजनक न होने की स्थिति में संस्थान को किसी भी समय बिना कारण बताये बिना किसी पूर्व नोटिस के निविदा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
8. उपरोक्त शर्तो की पालना संविदाकर्ता फर्म द्वारा की जावेगी। यदि एक शर्त या अनेक शर्तो का उल्लधंन संविदाकर्ता फर्म द्वारा किया जाता है तो संविदा निरस्त की जा कर संस्थान में जमा प्रतिभूति राशि को जब्त कर लिया जावेगा।

कार्य सम्पादन राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहत किया जायेगाः–

(1) जब संविदा की शर्तो का उल्लंधन किया गया हों।

(2) जब निविदादाता सम्पूर्ण कार्य सन्तोषजनक ढ़ग से करने में असफल रहा हो।

कार्य सम्पादन राशि को समपहत करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा। उस संबंध में संस्थान का निर्णय अन्तिम होगा।

10. करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने का व्यय निविदादाता द्वारा वहन किया जायेगा ।

11. कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि को संविदा समाप्ति के दो माह उपरान्त प्रतिदाय किया जायेगा।

17. जो आवेदन विहित प्रारूप में प्रस्तुत नही की जाएगी उनहें रदद कर दिया जाएगा तथा जो निविदाये विहित तारीख एवं समय के पश्चात प्राज्त होगी उन पर कोई विचार नही किया जाएगा।

18. समस्त विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी पक्षकार (संस्थान या संविदाकार) द्वारा जयपुर स्थित न्यायालय में पेश की जायेगी अन्यत्र पेश नही की जायेगी।

19. आवेदनकर्ता किसी शर्तो के किसी भाग, के आशय के बारे में कोई सन्देह हो, तो वह हस्ताक्षर करने से पूर्व संस्थान से स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।

20. कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा। भुगतान केवल संतुष्टिपूर्ण कार्य संपादन के बाद ही किया जायेगा।

21. निविदा प्रपत्र में अंकित शर्तो के साथ RTPP Act 2012 से RTPP Rules 2013 के समस्त नियम लागू होंगे।

विशेष शर्ते :-

22. एजेन्सी अपने कार्यालय का पता, फोन नं. मोबाईल नंम्बर निविदा भरने के साथ दें।

23. निविदादाता द्वारा बिल मे कॉट–छॉट करने एवं फर्जी बिल प्रस्तुत करने पर बिना पूर्व नोटिस दिए अनुबन्ध निरस्त कर दिया जावेगा।

24. संस्थान द्वारा जिस दिन एवं जिस स्थान हेतु टिकिट बुकिंग हेतु फर्म को कार्यदिश दिया जावेगा संस्थान द्वारा उसी अनुरूप भुगतान किया जावेगा । संस्थान द्वारा निर्देशित करने की दिनांक से आगे की दिनांक में यदि टिकट बुक किये जाते है एवं उन पर अतिरिक्त राशि का भुगतान किया जाता है तो ऐसी राशि का भुगतान संस्थान द्वारा नहीं किया जावेगा एवं अतिरिक्त राशि फर्म द्वारा ही वहन की जावेगी । अत: फर्म यह सुनिश्चित कर लेवे की संस्थान द्वारा जिस दिनांक में टिकट बुकिंग हेतु आदेश दिया जाता है उसी दिन टिकट की बुकिंग फर्म द्वारा करवा दी जावे ।

25. संस्थान द्वारा फर्म को किसी भी प्रकार का ब्रोकरेज चार्ज (Broker Charge) का भुगतान नहीं किया जावेगा । संस्थान द्वारा फर्म को वास्तविक टिकट मूल्य का ही भुगतान किया जावेगा ।

26. फर्म द्वारा संस्थान द्वारा टिकिट बुकिंग हेतु निर्देशित करने के 24 घन्टे में टिकिट संस्थान को उपलब्ध करवाई जावेगी । निर्देशन के समय एवं यात्रा के समय में यदि 24 घंटे से कम का समय हो तो यात्रा से 04 घंटे पूर्व फर्म द्वारा टिकिट संस्थान को उपलब्ध करवा दी जावे ।

27. समय से संस्थान को टिकट उपलब्ध नहीं करवाने की दशा में यदि संस्थान द्वारा किसी अन्य फर्म या एजेंसी से टिकट बुक करवाई जाती है तो उस पर होने वाले समस्त व्यय का भुगतान फर्म से वसूला जावेगा ।

28. संस्थान द्वारा होटल बुकिंग हेतु फर्म को पृथक से अवगत करवाया जावेगा । फर्म द्वारा संस्थान द्वारा दिए गये निर्देशों के अनुरूप होटल की बुकिग करवानी होगी जिसके लिए संस्थान द्वारा फर्म को किसी भी प्रकार के कमीशन/ब्रोकरेज का भुगतान नहीं किया जावेगा ।

29. फर्म के द्वारा आरक्षित करवाया जाने वाला होटल प्रीमियम श्रेणी एवं सुरक्षित होना आवश्यक है ।

अतिरिक्त निदेशक

मैने/हमने उपरोक्त समस्त शर्ते ध्यान पूर्वक पढ ली है तथा मै/हम उक्त समस्त शर्तो से सहमत है तथा मानने हेतु बाध्य है।

हस्ताक्षर

फर्म का नाम व पता

फोन नम्बर/मोबाईल नं0

परिशिष्ट–अ

फर्म का पूर्ण विवरण

1. फर्म का पूरा नाम :–..

2. फर्म का पूरा पता :–..

3. दूरभाष संख्या :–..

4. व्यवसाय की प्रकृति :–..

5. फर्म का जी.एस.टी. संख्या :– ....

6. फर्म का पेन संख्या :– ....

7. फर्म का पंजीयन संख्या :– ....

8. प्रपत्र शुल्क राशि का विवरण :– डी.डी. संख्या.....................दिनांक...........................

9. अमानत राशि का विवरण :– डी.डी. संख्या.....................दिनांक...........................

10. फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि का नाम :–..

11. अधिकृत प्रतिनिधि का दूरभाष नम्बर :–..

12. फर्म की ईमेल आई.डी. :–..

13. फर्म का बैंक खाते का विवरण :–
    1. बैंक का नाम..
    2. बैंक खाता संख्या...
    3. बैंक शाखा..
    4. IFSC कोड..

आवेदक के हस्ताक्षर

मय सील